संख्या-9/2016आडिट-794/दस-2016-317(3)/12

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0
नवां तल, इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग लखनऊ :: दिनांक 31 मार्च, 2016

विषयः-मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 लखनऊ के विभाग ने 04 निष्प्रयोज्य घोषित वाहन के प्रतिस्थापन स्वरूप 04 नये वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आप अवगत हैं कि मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या-आडिट-369/दस-2016-317(3)/12, दिनांक 25 फरवरी, 2016 के द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 लखनऊ के विभाग के 04 निष्प्रयोज्य घोषित वाहन के प्रतिस्थापन स्वरूप 02 अदद स्वीफ्ट डिजायर (वी0एक्स0आई0) प्रति वाहन रू0 5,42,885/- एवं 02 अदद बोलेरो (2डब्ल्यू0डी0बी0एस04ए0सी0) का प्रति वाहन रू0 644894/- के हिसाब से कुल 04 नये वाहनों के क्रय हेतु रू0 23,75,558/- (रूपये तेईस लाख, पच्हत्तर हजार, पॉच सौ अट्ठावन मात्र) की धनराशि कतिपय शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- आपके पत्रांक-700/लेखा-2/नाजिर/2016, दिनांक 08 मार्च, 2016 के द्वारा अवगत कराते हुए अनुरोध किया गया है कि विक्रेता मारूति सुजकी इण्डिया लि0 एवं महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लि0 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि यूनियन बजट 2016 में सरकार द्वारा वाहनों पर 01 प्रतिशत इन्फ्रास्ट्रेक्चर सेस बढ जाने के कारण वाहनों का मूल्य बढ गया है। उक्त के दृष्टिगत अब क्रमशः स्वीफ्ट डिजायर (वी0एक्स0आई0) प्रति वाहन रू0 547616/- की दर से एवं 02 अदद बोलेरो (2डब्ल्यू0डी0बी0एस04ए0सी0) का प्रति वाहन रू0 664102/- की दर से कुल 04 नये वाहनों के क्रय हेतु रू0 24,23,436/- (रूपये चौबीस लाख, तेईस हजार, चार सौ छत्तीस मात्र) की आवश्यकता होगी। अतः संशोधित धनराशि स्वीकृत की जाय।

3- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के उक्त पत्र दिनांक 08 मार्च, 2016 पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल शासन के पत्र संख्या-आडिट-369/दस-2016-317(3)/2012, दिनांक 25 फरवरी, 2016 के द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 लखनऊ के विभाग के 04 निष्प्रयोज्य घोषित वाहन के प्रतिस्थापन स्वरूप 02 अदद स्वीफ्ट डिजायर (वी0एक्स0आई0) प्रति वाहन रू0 5,42,885/- एवं 02 अदद बोलेरो (2डब्ल्यू0डी0बी0एस04ए0सी0) का प्रति वाहन रू0 644894/- के हिसाब से कुल 04 नये वाहनों के क्रय हेतु रू0 23,75,558/- (रूपये तेईस लाख, पच्हत्तर हजार, पॉच सौ अट्ठावन मात्र) की धनराशि के स्थान पर बढी हुई दरों के दृष्टिगत प्रस्तर-2 के अनुसार कुल 04 नये वाहनों के क्रय हेतु रू0 2423436/- (चौबीस लाख, तेईस हजार, चार सौ, छत्तीस मात्र) अवमुक्त किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एतदद्वारा सहर्ष प्रदान करते हैं।

शासन का संख्या-आडिट-369/दस-2016-317(3)/2012, दिनांक 25 फरवरी, 2016 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 25 फरवरी, 2016 की शेष सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीया,

उमा द्विवेदी,
अनु सचिव।

संख्या-9/2016आडिट-794(1)/दस-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षण) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषा अधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

उमा द्विवेदी,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।